

17/2/2020

पत्रावली पेश करी। अपीलार्थी एवं उसके
अभिभावक उपस्थित नहीं हैं। रेस्पोंड भी कबु
है। अर्थात् 'अपेक्षित' की पालना से अभिभावक
अपीलार्थी द्वारा रेस्पोंड को तलपी हेतु
तलपना नोस्ट्रिड पेश नहीं करे सके हैं। जिनके
अभाव से 'प्रकार' नामी लम्बे समय के तलपी
रेस्पोंड से लम्बित है। अपील एवं उसके
अभिभावक आज कावयूद अर्थात् के उपस्थित
नहीं हैं। अतः प्रत्यक्ष कथन राजिरी कथन
पेशी कृतीलाट से समाविष्ट किया जाता है।
पत्रावली निर्णय कुशल होकर बाद तारीख
तकमील दारिफत दफतर हो।

५

संभागीय आयुक्त
काटा संभाग, कोटा